बिहार सरकार
आयुष निदेशालय,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

अधिसूचना

पटना/दिनांक :– 04.12.2018

सं० सं०–16/टी. 2–42/2014–1557(आ.चि.) भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग के अधीन "आशुलिपिक" संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।–(1)** यह नियमावली "बिहार आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग, आशुलिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2018" कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ ।**– इस नियमावली में, जब तक कि विषम या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नही हो–

   (i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;
   (ii) "विभाग" से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग ;
   (iii) "संवर्ग" से अभिप्रेत है आयुष निदेशालय के अन्तर्गत "आशुलिपिक" संवर्ग ;
   (iv) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन अयोग ;
   (v) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित संस्थान के प्राचार्य/अधीक्षक/उपाधीक्षक (दस शय्यायुक्त राजकीय होमियोपैथिक अस्पताल, पटना)/प्रबंधक/अनुसंधान पदाधिकारी/जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी ;
   (vi) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि, तथा
   (vii) "सदस्य" से अभिप्रेत है संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से संवर्ग में नियुक्त/समायोजित सभी व्यक्ति।

3. **संवर्ग की संरचना ।**– आशुलिपिक संवर्ग की संरचना निम्नरूपेण होगी :–

क्र० सं०	पद संरचना	स्तर
1	आशुलिपिक ग्रेड–III	मूल कोटि
2	आशुलिपिक ग्रेड–II	प्रथम प्रोन्नति स्तर
3	आशुलिपिक ग्रेड–I	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

4. **संवर्ग बल एवं वेतनमान ।**– संवर्ग बल वही होगा जो आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, समय–समय पर, विनिश्चित किया जाय तथा संवर्ग के पदों का वेतनमान एवं ग्रेड पे/वेतन स्तर वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

5. **भर्ती ।–(1)** संवर्ग के मूल कोटि के पदों पर भर्ती, सीधी भर्ती द्वारा, आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

   (2) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेजेगा।

(3) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा, न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक एवं व्यवहारिक दक्षता जाँच के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अर्हता प्राप्तांक का अवधारण आयोग विभाग के परामर्श से करेगा। मेधा सूची की वैधता विभाग में अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(4) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षो के लिए करेगा।

6. **अर्हता।–(1)** न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता – (क) आशुलिपिक ग्रेड– III के मूल पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इन्टरमीडियट उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होगी।

(ख) उम्मीदवारों के लिए आशुलेखन/टंकण का ज्ञान आवश्यक होगा।

(ग) उम्मीदवरों को कम्प्यूटर के बेसिक/वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान रखना भी अनिवार्य होगा।

(2) पात्रता हेतु जाँच – (क) हिन्दी श्रुतिलेख की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट के लिए अर्हक स्तर की जाँच होगी। लेखापन प्रारम्भ करने के पूर्व एक मिनट का लेखापन जाँच (डिक्टेशन लेख) दिया जाएगा। श्रुतिलेख टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को टंकण आरम्भ करने के पूर्व 2 मिनट का समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। श्रुतिलेख के टंकण की शुद्धि टंकण हेतु नियत समय के भीतर करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।

(ख) श्रुतिलेख के अतिरिक्त उम्मीदवारों को हिन्दी में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए डेढ़ प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जायेगा।

(ग) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र–18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर विनिश्चित की जाय।

7. **आरक्षण।–** भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. **परिवीक्षा।–** प्रत्येक भर्ती दो वर्षो के लिए परिवीक्षा पर होगी और विशेष परिस्थितियों में लिखित रूप से अभिलिखित किये जा सकने वाले कारणों से इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

9. **विभागीय परीक्षा एवं सम्पुष्टि।–(1)** राजस्व पर्षद की केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष विभागीय परीक्षा आयोजित की जायेगी। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा किया जायेगा।

(2) नियुक्त कर्मी द्वारा परीक्ष्यमान काल एवं प्रशिक्षण पूरा करने एवं विभागीय परीक्षा में सफल होने पर उसकी सेवा नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सम्वर्ग में सम्पुष्ट किया जायेगा।

10. **वरीयता।**— संवर्ग के सदस्यों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित उनकी मेधाक्रम के अनुसार होगी। परन्तु इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी।

11. **संवर्ग का स्तर।**— यह संवर्ग जिला स्तरीय होगा।

12. **प्रोन्नति।**— मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति, समय—समय पर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा विनिश्चित कालावधि पूरा होने पर संबंधित संस्थान के नियुक्ति प्राधिकार द्वारा गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी। प्रोन्नति देने के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित अन्य सभी नियमों/प्रक्रियाओं का भी अनुपालन आवश्यक होगा। प्रोन्नति समिति का गठन अलग से आदेश निर्गत कर किया जायेगा।

13. **कठिनाई का निराकरण।**— विभाग, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, समय—समय पर, ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

14. **निर्वचन।**— जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला आयुष निदेशालय द्वारा विभाग के सम्मुख लाया जायेगा और विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

15. **निरसन एवं व्यावृति।—(1)** इस संवर्ग के संबंध में विभाग द्वारा, समय—समय पर, पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एत्द द्वारा निरसित किये जाते है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त संकल्प, अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

03/12/18

(डॉ० राजीव कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :—16/टी. 2—42/2014—1575 (आ. चि.) **पटना/दिनांक :**—04.12.2018

प्रतिलिपि :—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि नियमावली की 250(दो सौ पचास) प्रतियाँ स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को शीघ्र भेजी जाय।

03/12/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक :—16/टी. 2—42/2014—1557 (आ. चि.) **पटना/दिनांक :**— 04.12.2018

प्रतिलिपि :—संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/12/18

सरकार के अपर सचिव

D:\santosh\farmasist ayush.doc

Government of Bihar
Health Department

Notification

Patna, Dated--04.12.2018--

File No. 16/T.2-42/2014- 1557/Ha. Chi / In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the appointment and service -conditions in the Steno grapher Cadre under the Directorate of Ayush:-

1. **Short title, extent & commencement.-** (1) These Rules may be called the "Bihar Ayush Steno grapher Cadre Rules, 2018".
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force at once.
2. **Definitions.** - In these Rules, unless otherwise requires the subject or context in–
   (i) 'Government' means Government of Bihar;
   (ii) 'Department' means Health Department;
   (iii) 'Cadre' means Steno grapher Cadre under the Directorate of Ayush;
   (iv) 'Commission' means The Bihar Staff Selection Commission;
   (v) 'Appointing Authority' means Principal/Superintendent/Deputy Superintendent (Ten beded Govt. Homoeopathic Hospital, Patna)/Manager/Research Officer/District Indigenous Medical Officer to the concerned Institution;
   (vi) ' Fixed date' means the date of coming into force of these Rules; and
   (vii) 'Member' means a person appointed in the cadre and all persons appointed/absorbed before coming into force of these rules .

3.Structure of the Cadre.- Structure of the cadre of Steno grapher shall be as follows:-

Sl. No	**Structure of Post**	**Ladder**
1	Steno- Grade III	Basic Category
2	Steno- II	First Ladder of Promotion
3	Steno- Grade I	Second Ladder of Promotion

4. **Strength of the Cadre and Pay Scale** - The strength of the cadre shall be same as may be determined by the Directorate of Ayush, Health Department, from time to time and the pay scale and grade pay/ pay level of the posts of this cadre shall be same as may be determined by the Government, from time to time.
5. **Recruitment.-**(1) The appointment to the basic category posts of this cadre will be made by direct

   recruitment on the basis of recommendation of the Commission.

D:\santosh\farmasist ayush.doc

(2) The appointing authority, will calculate the vacancies on the basis of position as on 1st April of the year, and will be sent requisition to the Commission latest by 30th April.

(3) The Commission shall advertise the vacancies and after selecting the successful candidates on the basis of The Competitive Examinations, minimum qualifying marks and practical skill test, will recommend the the names of the candidates in meritorder to the appointing authority. The Commission, in consultation with the department, shall determine the syllabus of the Competitive Examination and qualifying marks. Validity of merit list shall be for one year from the date of receipt of the recommendation in the department.

(4) After due screening, the appointing authority shall appoint the candidates for a period of two years on probation.

6. **Qualifications:-** (1) Minimum Educational Qualification- (a) Minimum educational qualification for the appointment to the posts of Steno- Grade-III shall be intermediate pass or equivalent.

(b) Knowledge of Shorthand and Typing shall be compulsory for the candidates.

(c) To have basic knowledge of computer and word processing shall be also compulsory for the candidates.

(2) **Test for eligibility** – (a) The Test of qualifying level of shorthand writing in Hindi will be 80 words per minute for 4 minutes. One minute will be given for trial dictation before final dictation test. Twenty minutes will be given for typing of dictation. Two minute time will be given for correction before typing of dictation. The correction of typing of dictation will be done within the fixed time of typing. For being successful in typing of dictation, errors should not be more than 10% otherwise they will be declared disqualified.

(b) Besides the Shorthand test, candidates shall have to type 300 words in ten minutes at the rate of 30 words per minute on computer. For being successful in typing errors should not be more than 1.5 % otherwise they will be declared disqualified.

(c) For recruitment, the minimum age shall be 18 years and the maximum age-limit shall be the same as may be determined by the State Government (General Administration Department), from time to time.

7. **Reservation .-** Compliance of provisions, of reservation/roster notified for direct recruitments and promotion, by the State Government (General Administration Department) from time to time, shall be necessary.

8. **Probation period.-** Each appointment shall be on the probation for two years and in special circumstances. If the probation period is not found satisfactory, it may be extended for one year with reasons to be recorded in writing, by the appointing authority. Such period extension will be made only when in the opinion of the Appointing Authority, the improvement in the probationer is possible. If the service is not found satisfactory in extended period also, then the Appointing Authority may terminate the service of the candidate.

9. **Departmental Examination and Confirmation.-** (1) Departmental examination shall be organized by the Central Examination Committee of Board of Revenue in every year. Subject, syllabus and process of The Departmental Examination will be determined by the Central Examination Committee of Board of Revenue.

   (2) After satisfactory completion of probation period, training and passing of Departmental examination, the services of appointed personnel, may be confirmed in the cadre by the Appointing Authority.

10. **Seniority .-** The inter-se seniority of the members of the cadre shall be determined according to the merit list determined by the Commission However, the inter-se-seniority determined before coming into force of these Rules shall remain unchangeable.

11. **Level of cadre.-** – The cadre will be of district level.

12. **Promotion.-** –Promotion from basic category to higher category, on completion of KALAWADHI determined by the Government (General Administration Department) from time to time, may be given on the basis of recommendation of the Promotion Committee, constituted by the appointing authority of the concerned institution . It shall also be necessary to comply with other rules/process prescribed by the "General Administration Department" in the stage of promotion.

13. **Removal of difficulties.-** The Department may issue, after consultation with the Law Department, such general or special instructions, from time to time, which is necessary to remove the difficulty coming in implementation of any of the provisions of these Rules.

14. **Interpretation.-** Where any doubt arises in interpretation of any provisions of these Rules, it shall be referred to the Department by the Directorate of AYUSH and in this respect, after consultation with the Law Department, decision of the Department shall be final.

15. **Repeal & Savings.-** (1) All resolutions, and instructions issued earlier, from time to time, by the Department with respect to this cadre are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any work done or any action taken under the said resolutions, instructions shall be deemed to be done or taken under these Rules as if these Rules were in force on the date on which such work was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,

03/12/18

(Dr. Rajiv Kumar)

Additional Secretary to the Government

Memo No.- 16/T.2-42/2014- 1557(Ha.Chi **Patna/Dated-** 04.12.2018

Copy forwarded to Superintendent, Secretariat press, Guljarbag, Patna for publication in extra ordinary Gazette of Bihar.

03/12/18

Additional Secretary to the Government

Memo No.- 16/T.2-42/2014- 1557(Ha.Chi **Patna/Dated-** 04.12.2018

Copy forwarded to all concerned for information and necessary action.

Copy forwarded to I.T Manager, Health Department for information and to upload on the departmental webseite.

03/12/18

Additional Secretary to the Government